State Council of Educational
Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,
शंकर नगर, रायपुर

Website: http://scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

पत्र क्र./शिक्षक–शिक्षा/बी.एड., डी.एड. प्रवेश/2015–16 4032 रायपुर दिनांक 15.07.2015

बी.एड./डी.एड. संचालित करने वाले संस्थाओं के लिए निर्देश –

आनलाइन आबंटन प्रक्रिया में अभ्यर्थी को सीट्स आबंटन के पश्चात् संबंधित संस्था में प्रवेश लेना है तथा यह प्रवेश निर्धारित समयावधि में लेना होता है इस हेतु अभ्यर्थी को सामान्यतः 7 दिवस का समय दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में इन संस्थाओं को निम्नलिखित कार्य सम्पादित करना है :–

1. अभ्यर्थियों का प्रवेश :–

1. महाविद्यालय सबसे पहले अपनी संस्था का कोड व पासवर्ड MKCL से प्राप्त करें तथा Login के लिए MKCL के वेबसाइट पर अपने कालेज आई.डी. व पासवर्ड का प्रयोग करें।
2. महाविद्यालय के प्राचार्य, प्रवेश प्रभारी से संबंधित Address, E-mail, Phone Number, एवं अन्य विवरण अनिवार्यतः अद्यतन (Update) करें जिससे एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा E-mail अथवा SMS के द्वारा महाविद्यालय में संपर्क किया जा सकें एवं समय–समय पर अन्य निर्देश महाविद्यालयों को दिया जा सके।
3. बी.एड. एवं डी.एड. प्रवेश नियम (समय–समय पर किये गए संशोधनों के साथ) का अध्ययन अवश्य कर लेवें।
4. चयनित अभ्यर्थियों के आवश्यक दस्तावेजों की अंतिम जांच कर ही संस्था प्रवेश सुनिश्चित करेगी। दस्तावेजों की जाँच एवं सत्यता के प्रमाणीकरण की संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होगी।
5. सबसे पहले आबंटन पत्र को देखें कि वास्तव में उक्त अभ्यर्थी का चयन आपके संस्था में हुआ है कि नहीं। **आबंटन पत्र की एक प्रति अपने महाविद्यालय में सुरक्षित रखें जिसे विश्वविद्यालय से संबंधित या अन्य कार्यों हेतु उपयोग किया जावेगा, SCERT से आबंटन पत्र की द्वितीय प्रति जारी नहीं की जायेगी।**
6. आपके महाविद्यालय को आबंटित छात्रों के आबंटन पत्र आपके Login में भी उपलब्ध है जिसे प्रिंट कर उपयोग किया जा सकता है।
7. दस्तावेजों के सत्यापन के अन्तर्गत निम्नलिखित की जाँच करें –

डी.एड. पाठ्यक्रम हेतु –

1. 10वीं/12वीं की अंकसूची/सक्षम प्राधिकारी/संस्था द्वारा प्रदान किया गया जन्म प्रमाण–पत्र।
2. 12वीं की अंकसूची (न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त हो)। 12वीं में समूह (कला/विज्ञान/गणित/अन्य) की भी जाँच कर लेवें।
3. आरक्षित वर्ग व सवंर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र (यदि छूट का लाभ लिया हो तो)
4. निवास प्रमाण पत्र।
5. स्थानांतरण प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र।

बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु –

1. 10वीं/12वीं की अंकसूची/सक्षम प्राधिकारी/संस्था द्वारा प्रदान किया गया जन्म प्रमाण–पत्र।
2. छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ के कोटे में चयनित अभ्यर्थी हेतु)।
3. छत्तीसगढ़ के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए पात्रता प्रमाणपत्र (बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु) उस विश्वविद्यालय का जारी किया हुआ, जिस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय में आबंटन हुआ है।

4. अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची (स्नातक / स्नातकोत्तर उपाधि की) एकीकृत प्राप्तांक की गणना हेतु (स्नातक उपाधि प्राप्त है तो स्नातक के तीनों वर्षों की अंकसूची और यदि स्नातकोत्तर उपाधि के प्राप्तांक से पात्रता बन रही है तो स्नातकोत्तर के दोनों वर्षों की अंकसूची लाना अनिवार्य होगा)।
5. पात्रता हेतु स्नातक / स्नातकोत्तर में एकीकृत न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त होना चाहिए (केवल ऑनर्स के विषयों में हो 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक मान्य नही होगे)। इंजीनियरिंग वाले प्रकरण में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त हो।
6. छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी यदि छूट या आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे है तो सक्षम प्राधिकारी संस्था से जारी वर्ग व संवर्ग का प्रमाण–पत्र।

8. अभ्यर्थी से स्थानांतरण प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
9. इसके उपरान्त यदि अभ्यर्थी के दस्तावेज सही पाये जाते हैं तो छ.ग. प्रवेश एवं शुल्क विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क लेकर ऑनलाइन प्रवेश सुनिश्चित करें।

2. ऑनलाइन प्रवेश सुनिश्चित करना –

1. उपर अनुसार कार्यवाही करने के पश्चात आप अपने महाविद्यालय के login में जाकर "Allotment Report" लिंक को क्लिक करें। यहां आपके महाविद्यालय को आबंटित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध होगी।
2. अभ्यर्थी को प्रवेश देने हेतु confirm Candidate लिंक को क्लिक करें तथा अभ्यर्थी के आवेदन पत्र क्रमांक की Entry कर Proceed बटन को क्लिक करें।
   आपको अभ्यर्थी से संबंधित जानकारियाँ प्रदर्शित होंगी। आपको फीस की राशि भी प्रविष्ट करना है, इसका एक प्रिंट–आउट हस्ताक्षर करके अभ्यर्थी को देना है एवं एक प्रति में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर लेकर अपने पास सुरक्षित रखना है।
3. इस प्रकार आप अभ्यर्थियों के प्रवेश को निरंतर अपडेट करें।
4. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज त्रुटि पूर्ण है तो उसके चयन को disqualify Candidate लिंक को क्लिक कर संबंधित अभ्यर्थी के आवेदन पत्र क्रमांक की प्रविष्टि कर Proceed बटन क्लिक करें एवं इसकी लिखित सूचना एस.सी.ई.आर.टी. को देवें। ध्यान रहे इस प्रकार से अभ्यर्थी आगे की प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा।
5. प्रवेश हेतु अंतिम दिवस को रात्रि 11:59 बजे के पश्चात् किसी प्रकार अपडेशन नहीं किया जा सकेगा।
6. उपरोक्त प्रक्रिया समय–सीमा में किया जाना आवश्यक है। यदि अंतिम (प्रवेश हेतु निर्धारित) दिन इंटरनेट का नेटवर्क आपके महाविद्यालय में उपलब्ध न हो तो जहां नेटवर्क हो वहाँ जाकर करें। विशेष परिस्थिति में MKCL के अधिकारियों को सूचित करें।
7. यदि अपडेट करने में कोई परेशानी हो तो MKCL के अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा जरूर करें। एस.सी.ई.आर.टी. में हाईपावर समिति के सदस्यों से भी दूरभाष पर चर्चा किया जा सकता है।

3. अन्य निर्देश :–

- आपको प्रवेश के संबंध में समस्त निर्देश स्पष्ट रूप से दिये जा रहे हैं जिसकी सहायता से आप अभ्यर्थियों को सही–सही परिस्थितियों से अवगत करा सकते हैं। अतः एस.सी.ई.आर.टी. से मार्गदर्शन ले रहे हैं, यह बताकर अभ्यर्थियों को गुमराह न करें।
- राज्य के बाहर के छात्रों की अंकसूची से संबधित कोई समस्या हो तो एस.सी.ई.आर.टी. से सम्पर्क करें।
- इसी प्रकार शासकीय संस्थाओं में प्री. बी.एड. / प्री. डी.एड. की प्रावीण्यता के आधार पर चयन हो सकता है। किसी OBC अभ्यर्थी का चयन सामान्य वर्ग में हो गया हो तो उसके OBC से संबंधित प्रमाण–पत्र का सत्यापन आवश्यक नहीं है। परन्तु यदि ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का प्राप्तांक अर्हकारी परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम हो तो उसे छूट देकर पात्र किया गया, इस स्थिति में प्रमाण पत्र की जांच करें।

- प्रथम चरण में सामान्य वर्ग या संवर्ग का आरक्षण या डी.एड. में विषयवार आरक्षण का परिवर्तन नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी के नाम के सामने दर्ज किया गया उसका चयन किस वर्ग, संवर्ग या विषय हेतु हुआ, उससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश देवें अन्यथा उसका चयन निरस्त कर दें और disqualify अंकित करें।
- परन्तु दूसरे व तीसरे चरण में सीटों का परस्पर परिवर्तन नियमानुसार किया जावेगा।
- किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
- अभ्यर्थियों को सही जानकारी ही देवें।
- आबंटन कार्यक्रम का अध्ययन अवश्य कर लें।
- प्रवेश के समय अभ्यर्थियों से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लेवें। अभ्यर्थियों से अतिरिक्त शुल्क लेने की शिकायत तथा मेरिट अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने पर महाविद्यालय के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों को आप एस.सी.ई.आर.टी. की वेबसाइट http://**scert.cg.gov.in** में अवश्य देखें।
- आबंटन प्रक्रिया के पहले अपनी संस्था का NCTE का मान्यता आदेश तथा बोर्ड/वि.वि. के सम्बद्धता आदेश की छायाप्रति अनिवार्यतः जमा करें।
- NCTE के Revised Recognition Order में निर्धारित सीटों की संख्या तथा अन्य शर्तों के पूरा करने से संबंधित जानकारी एस.सी.ई.आर.टी. में जमा करें अथवा एस.सी.ई.आर.टी. की ई–मेल scertcg@gmail.com पर भेजे। जानकारी का प्रारूप एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग रायपुर